न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 78/2016/अपील/एलआरएक्ट/बूंदी

तारीख दायराः 28.7.2016

अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

1 प्रेमबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी बद्रीसिंह जाति दरोगा निवासी लाखेरी कुन्हाडी बालापुरा माता जी रोड इन्द्रा कालोनी कोटा (राज0)।

...अपीलांट

बनाम

1 गोविन्दा उर्फ गोविन्द सिंह झाला पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति दरोगा बाटम की सब्जीमण्डी के सामने मालीपाडा लाखेरी जिला बूंदी।

2 ओमप्रकाश उर्फ महावीर सिंह हाडा आत्मज लक्ष्मीनारायण जाति दरोगा निवासी कुन्हाडी थाना के सामने सुभाषनगर मुर्गी फार्म हाउस के पास कोटा।

3 सरपंच ग्राम पंचायत डगरिया तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी।

4 तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बूंदी ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री मेघराज सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री राजकुमार पाल अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

:::निर्णय:::

दिनांक 18.6.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल सं0 59/अपील/16 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान प्रेमबाई बनाम गोविन्दा उर्फ गोविन्द सिंह आदि मे पारित निर्णय दिनांक 27.4.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे खातेदार लक्ष्मीनारायण आ0 चन्दा जाति दरोगा के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के नाम ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं0 22 दिनांक 15.7.1971 ग्राम प्रतापगढ से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम मे पेश कर अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट खातेदार की पुत्री होने से वैध वारिस है जबकि नामान्तरकरण मे उसका नाम दर्ज नही कर दो भाईयो गोविन्दा उर्फ गोविन्द सिंह तथा ओमप्रकाश उर्फ महावीर सिंह का ही नाम दर्ज किया गया अतः नामा0 निरस्त कर मृतक खातेदार लक्ष्मीनारायण के 1/2 हिस्से मे अपीलांट का भी रेस्पो0 क्रम 1 व 2 के साथ–साथ नाम दर्ज किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील मियाद बाहर होने से जेरअपील निर्णय दिनांक 27.4.2016 से अपील अपीलांट खारिज की गई जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अपीलांटा स्र्व0 लक्ष्मीनारायण की पुत्री होने से उसकी वैध वारिस है परीक्षण न्यायालय द्वारा उसका रेस्पो0 क्रम 1 व 2 के साथ नाम दर्ज नही कर विधिक त्रुटि की है जबकि विवादित आराजी मे अपीलाटां का हित प्रभावित होने से स्वय का नाम दर्ज कराने की वैधानिक अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर गौर नही किया तथा सरसरी तौर पर अवलोकन कर अपील बैरून मियाद मानकर जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है जबकि अपीलांटा कमी पढी लिखी होने तथा कानूनी बिन्दूओं से अनगिज्ञ होने तथा नामान्तरकरण की जानकारी दिसम्बर माह 2015 मे होना वर्णित करते हुये देरी का स्पष्ट कारण अंकित किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो पर गौर नही किया। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 27.4.2016 अपास्त किया जावे तथा नामा0 सं0 22 दिनांक 15.7.71 निरस्त कर मृतक लक्ष्मीनारायण की पुत्री होने के आधार पर अपीलांटा का

मृतक लक्ष्मीनारयण के हिस्से की भूमि मे रेस्पो0 क्रम–1 व 2 के साथ साथ उसका नाम दर्ज किये जाने का आदेश पदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अपीलांट हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसके पिता स्व0 लक्ष्मीनारायण के विवादित आराजी मे 1/2 हिस्से मे रेस्पो0 क्रम–1 व 2 के साथ साथ लक्ष्मीनारायण की पुत्री होने से वैध वारिस होने के कारण अपना नाम दर्ज कराने की कानूनी अधिकारणी है। अपीलांटा कम पढी लिखी तथा कानूनी बिन्दूओं से अनभिज्ञ होने तथा नामान्तरकरण की जानकारी दिसम्बर माह 2015 मे होना वर्णित करते हुये देरी का स्पष्ट कारण अंकित कर प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो पर गौर नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय अपास्त किया जावे तथा नामा0 सं0 22 निरस्त कर रेस्पो0 क्रम– 1 व 2 के साथ साथ अपीलांट का नाम भी दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे बताया कि अपीलांटा द्वारा नामा0 सं0 22 को अधीनस्थ न्यायालय मे लगभग 44 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत कर चुनोती दी गई है जबकि उक्त नामा0 की उसको तत्समय ही जानकारी थी। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर थी तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण नही होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत अपील बैरून मियाद होने से जेरअपील निर्णय दिनांक 27.4.2016 से खारिज की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा जेरअपील निर्णय दिनांक 27.4.2016 का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। अपीलांटा द्वारा नामान्तरकरण सं0 22 दिनांक 15.7.1971 ग्राम प्रतापगढ के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय मे राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत दिनांक 25.1.2016 को अपील देरी कन्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर स्व0 लक्ष्मीनारायण की पुत्री होने से उसकी वैध वारिस होने के कारण विवादित आराजी मे लक्ष्मीनारायण के 1/2 हिस्से मे उसकी विरासत के तस्दीक किये गये नामा0 सं0 22 दिनांक 15.7.71 मे अपीलांटा का नाम दर्ज नही किये जाने से नामा0 सं0 22 निरस्त कर रेस्पो0 क्रम 1 व 2 के साथ अपना नाम भी दर्ज करने का अनुरोध किया गया जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय देरी कन्डोन किये जाने का कोई ठोस आधार नही होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाकर अपील के गुणावगुणो पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील बैरून मियाद होने से जेरअपील निर्णय दिनांक 27.4.2016 को खारिज की है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे भी अपीलांटा की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय मे विवेचित किये गये तथ्यो को ही दोहराया गया है अन्य ऐसे कोई तथ्य/आधार अभिलेख प्रस्तुत नही किये है जिससे अपील को अवधि मध्य माने जाने का कोई ठोस आधार होना प्रकट करते हो। चूंकि अपीलांट द्वारा विवादित नामा0 सं0 22 दिनांक 15.7.1971 के विरूद्ध प्रथम अपलीय न्यायालय मे दिनांक 25.1.2016 को लगभग 44 वर्षो बाद प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का कोई युक्तियुक्त व ठोस आधार पत्रावली मे उपलब्ध नही है ऐसी स्थिति 44 वर्ष से भी अधिक विलम्ब को समुचित व ठोस आधार अभिलेख के अभाव मे कन्डोन किया जाना न्यायहित मे उचित नही है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज करने मे कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि किया जाना प्रकट नही होता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय 27.4.2016 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 18.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा